

न्यूज टुडे

वर्ल्ड ड्राॅट एटलस 2024 रिपोर्ट UNCCD और यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई

इसे रियाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के COP-16 में जारी किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि के पुनरुद्धार और सूखे के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देना तथा जन-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से कार्रवाई में तेजी लाना है।

सन् 2000 के बाद से जलवायु परिवर्तन और भूमि व जल संसाधनों के असंभारणीय प्रबंधन के कारण सूखे की घटनाओं में 29% की वृद्धि हुई है।

सूखे के बारे में

- सूखे को असामान्य रूप से लंबे समय तक कम जल उपलब्धता की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मांग में असंतुलन हो जाता है।
- हालिया सूखे के उदाहरण: अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में, स्पेन के बर्सेलोना में आदि।
- सूखे के लिए जिम्मेदार कारण: इनमें असाधारण रूप से कम वर्षा; असंतुलित जल निकासी; प्रबल अल-नीनो आदि शामिल हैं।

सूखे के प्रभाव

- जल आपूर्ति: गंभीर सूखे के परिणामस्वरूप जल आपूर्ति में कमी हो सकती है, जिसके व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।
- कृषि: फसलों के खराब होने और कम पैदावार के कारण खाद्यान्न की कमी एवं आर्थिक नुकसान हो सकता है।
- जलविद्युत: बांधों और जलाशयों में जलस्तर घटने से बिजली उत्पादन में कमी हो सकती है, जिससे औद्योगिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं।
- नेविगेशन: नदी का जलस्तर कम होने से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रभावित होता है, जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ता है।
- पारिस्थितिकी-तंत्र: जलीय और स्थलीय प्रजातियों का पर्यावास नष्ट होने से जैव विविधता को नुकसान होता है।

सूखा प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम

- वैश्विक स्तर पर: एकीकृत सूखा प्रबंधन कार्यक्रम; UNCCD की सूखा प्रतिरोध, अनुकूलन और प्रबंधन नीति (DRAMP) फ्रेमवर्क; वैश्विक सूखा सूचना प्रणाली आदि।
- भारत: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति; राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली आदि।

रिफ़ेक्टिव, प्रोएक्टिव और प्रोस्पेक्टिव सूखा जोखिम प्रबंधन एवं अनुकूलन

रिफ़ेक्टिव प्रतिक्रियाशील सूखा प्रबंधन	प्रोएक्टिव सूखा जोखिम प्रबंधन और अनुकूलन	प्रोस्पेक्टिव प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन और अनुकूलन
उपायों में शामिल हैं आपातकालीन खाद्य और पेयजल सहायता	उपायों में शामिल हैं अग्रिम चेतावनी प्रणाली	उपायों में शामिल हैं क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रणाली
फसलों और पशुधन के पुनरुद्धार के लिए सब्सिडी	पशुधन को कम करना और फसल पैटर्न को समायोजित करना	आपदा रोधी जल आपूर्ति प्रणालियां
राहत कोष	नौसमी सूक्ष्म ऋण और फसल बीमा योजनाएं शुरू करना	भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने के लिए भूमि उपयोग नियोजन
प्रभावों को नियंत्रित करना	जोखिम में कमी करना	भावी जोखिमों को टालना

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय कर संबंधी उल्लंघन और बंदूक रखने के अपराध में सजा का सामना कर रहे अपने बेटे को बिना शर्त क्षमा प्रदान की।

'रॉयल प्रेरोगेटिव ऑफ़ मर्सी' ब्रिटिश सम्राट का एक ऐतिहासिक विशेषाधिकार है। इसे मूल रूप से मृत्युदंड को रद्द करने या उसके स्थान पर अन्य विकल्प प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता था।

भारत और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की क्षमादान शक्तियों के बीच तुलना

भारत और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की क्षमादान शक्तियों के बीच तुलना

शक्तियां	भारतीय राष्ट्रपति	संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति
शक्ति का स्रोत	संविधान का अनुच्छेद 72	संविधान का अनुच्छेद II, खंड 2
दायरा	इसका विस्तार न केवल संघीय/केंद्रीय बल्कि राज्यों के कानूनों के अधीन अपराधों तक भी है।	इसका विस्तार केवल संघीय कानूनों के तहत अपराधों तक ही सीमित है, राज्यों के कानूनों के अधीन अपराधों तक नहीं।
मृत्यु दंड	राष्ट्रपति राज्यों द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा सहित अन्य सजाओं को माफ कर सकता है।	राष्ट्रपति केवल संघीय कानूनों के तहत दिए गए मृत्युदंड को माफ कर सकता है, राज्य के कानूनों के तहत दिए गए मृत्युदंड को नहीं।
कार्यपालिका की भूमिका	माऊ राम बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 72 के मामले में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। वह अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता।	राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर सकता है।
न्यायिक समीक्षा	न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है, कोर्ट प्रक्रिया की जांच कर सकती है, लेकिन आम तौर पर निर्णय की नहीं।	कोर्ट संदिग्ध भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग के मामलों में क्षमादान की समीक्षा कर सकता है।
सीमाएं	राष्ट्रपति संसद द्वारा किसी व्यक्ति पर लगाए गए महाभियोग के मामले में क्षमादान नहीं दे सकता है।	राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता जिस पर कांग्रेस द्वारा महाभियोग लगाया गया हो या जिसे दोषी ठहराया गया हो।

विश्व बैंक ने वार्षिक अंतराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (IDR), 2024 जारी की

अंतराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (IDR), 2024 में उन निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) के बाह्य ऋण के आंकड़े एवं विश्लेषण शामिल हैं, जो विश्व बैंक के डेब्टर रिपोर्टिंग सिस्टम (DRS) को रिपोर्ट करते हैं।

➤ बढ़ता हुआ बाह्य ऋण: निम्न और मध्यम आय वाले देशों का कुल बाह्य ऋण 2023 में 2.4% बढ़कर 8.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था।

➤ ऋणग्रस्तता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारक

⊕ उच्च ब्याज दरें: उच्च आय वाले देशों में सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण ब्याज दरें 20 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।

◆ बांग्लादेश और भारत में 2023 में ब्याज भुगतान 90% से अधिक बढ़ गया था।

⊕ अन्य कारक: इसमें मुद्रास्फीति, मुद्रा के मूल्य में गिरावट तथा सशस्त्र संघर्षों और व्यापार में व्यवधान के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता शामिल हैं।

➤ बढ़ते ऋण का प्रभाव: इसके कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आगे की राह

यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती UNCTAD) ने संधारणीय और समावेशी ऋण समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं:

➤ वैश्विक वित्तीय सुधार: इसके तहत व्यापक ऋण संकट को रोकने और समावेशी वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए व्यापक सुधार करने चाहिए।

➤ शोषणकारी ऋण से बचाव: इसके लिए रियायती वित्त-पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच सूचना संबंधी असमानता को कम करना चाहिए तथा शोषणकारी ऋण प्रणालियों को हतोत्साहित करना चाहिए।

➤ संकट के दौरान लचीलापन: संकट के दौरान पुनर्भुगतान को कुछ समय तक रोकने के लिए क्लाइमेट-रेसिलिएंट ऋण प्रावधानों और स्थगन नियमों को लागू करना चाहिए।

➤ बेहतर पुनर्गठन प्रणाली: संप्रभु ऋण प्रबंधन का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए स्वचालित पुनर्गठन नियम लागू करने चाहिए तथा एक वैश्विक ऋण प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए।



पर्यटन मंत्रालय ने 23 राज्यों में कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी

पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य उच्च यातायात वाले स्थलों पर दबाव कम करना तथा देश भर में पर्यटकों के संतुलित वितरण को बढ़ावा देना है। कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में असम के शिवसागर में स्थित रंग घर, बिहार के सहरसा में अवस्थित मत्स्यगंधा झील आदि को शामिल किया गया है।

➤ इन परियोजनाओं को व्यय विभाग की “पूँजीगत निवेश हेतु राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता (SASCI) योजना” के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है।

⊕ SASCI योजना का उद्देश्य देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष की अवधि हेतु दीर्घकालीन ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है।

⊕ राज्यों को परियोजनाएं पूरी करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया है।

ओवर-टूरिज्म के बारे में

➤ यह उस स्थिति को दर्शाता है, जब किसी पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की संख्या उस स्थल की वहन क्षमता (Carrying Capacity) से अधिक हो जाती है। इसका अर्थ है कि वह स्थान पर्यटकों की अधिक संख्या को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय तरीके से संभाल नहीं पाता है।

➤ इसके लिए जिम्मेदार कारण: इसमें बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रा संबंधी कम खर्च; लोगों की आय में वृद्धि होना और उभरता मध्यम वर्ग; बेहतर आतिथ्य क्षेत्र के कारण किफायती आवास आदि शामिल हैं।

ओवर-टूरिज्म के प्रभाव

➤ क्षति और क्षरण: पर्यटकों की अधिक आवाजाही से प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों की भव्यता एवं ढांचागत संरचना को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए: अंगकोरवाट मंदिर परिसर (कंबोडिया)।

➤ स्थानीय समुदायों में असंतोष: पर्यटन से रहन-सहन की लागत बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए सस्ता आवास मिलना कठिन हो जाता है। साथ ही, उन्हें विस्थापन का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए- बर्सिलोना में पर्यटन विरोधी प्रदर्शन।

➤ पर्यावरणीय प्रभाव: इसमें पर्यटन स्थलों में प्रदूषण एवं कचरे में वृद्धि होना; ट्रैफिक जाम होना; अकुशल तरीके से अपशिष्ट निपटान; जल की कमी और पारिस्थितिकी का ह्रास होना आदि शामिल हैं।

संधारणीय पर्यटन के लिए उठाए गए कदम

➤ एन्हांसड क्लाइमेट एक्शन इन टूरिज्म पर COP-29 घोषणा-पत्र: इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में संधारणीय पर्यटन पद्धतियों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।

➤ उत्तरदायी पर्यटन पर केपटाउन घोषणा-पत्र 2002: इसका उद्देश्य नकारात्मक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करना है।

➤ संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति, 2022: इस रणनीति का उद्देश्य भारत को उत्तरदायी पर्यटन के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। साथ ही, इसका लोचशील पर्यटन क्षेत्र का निर्माण करके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ में वृद्धि करना भी है।



राज्य सभा में बॉयलर विधेयक, 2024 पारित हुआ

यह विधेयक कानून बनने के बाद बॉयलर अधिनियम, 1923 की जगह लेगा। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप इसमें भी कुछ प्रावधानों में उल्लेखित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।

यह विधेयक स्टीम बॉयलर्स के विस्फोट के खतरों से व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

बॉयलर विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- विनियमन: केंद्र सरकार केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड को बॉयलर और बॉयलर में लगने वाले उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, स्थापना एवं उपयोग को विनियमित करने का कार्य सौंपा जाएगा।
- निरीक्षण: निरीक्षण का कार्य राज्य द्वारा नियुक्त निरीक्षकों या अधिकृत थर्ड पार्टियों द्वारा किया जाएगा।
- व्यवसाय करने में सुगमता (EODB): नवीन विधेयक में केवल 4 गंभीर अपराधों (जिनमें जीवन या संपत्ति की हानि भी शामिल है) के लिए आपराधिक दंड बरकरार रखा गया है। गौरतलब है कि बॉयलर अधिनियम, 1923 में 7 अपराधों के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान किया गया है।
 - सभी गैर-आपराधिक कृत्यों के लिए 'फाइन' को 'पेनल्टी' में बदल दिया गया है। इस पेनल्टी को कार्यकारी तंत्र के माध्यम से आरोपित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 1923 के अधिनियम के तहत अदालतों द्वारा फाइन लगाया जाता है।

विधेयक से जुड़ी समस्याएं

- सुरक्षा संबंधी चिंताएं: राज्य सरकार विधेयक से कुछ क्षेत्रों को छूट दे सकती है। इससे उन छूट वाले क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में संदेह पैदा होता है।
- सीमित न्यायिक अधिकारिता: विधेयक में प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्यों द्वारा नियुक्त निरीक्षकों के निर्णयों को नियमित अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्णय से असंतुष्ट होने पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स में रिट याचिका दायर करनी होगी।
- EODB में बाधा: विधेयक में बॉयलर में परिवर्तन, उसकी मरम्मत या निर्माण के लिए निरीक्षण या अनुमोदन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बॉयलर के बारे में

- बॉयलर से तात्पर्य उस वेसल से है, जिसमें दाब में स्टीम उत्पन्न होती है।
- 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 40 लाख स्टीम बॉयलर हैं।
- बॉयलर संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।

नीति आयोग ने 'ट्रेड वॉच' शीर्षक से पहली तिमाही रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग की इस रिपोर्ट में भारत के समक्ष व्यापार संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

भारत के समक्ष व्यापार संबंधी मुख्य चुनौतियां

- 'चीन-प्लस-वन' का लाभ उठाने में सीमित सफलता: चीन-प्लस-वन रणनीति से वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया जैसे देशों को अधिक लाभ हुआ है।
 - सस्ते श्रम, सरलीकृत कर कानून, कम टैरिफ तथा सक्रियता के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर हस्ताक्षर से इन देशों को सफलता मिली है।
- CBAM प्रभाव: कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) सीमेंट, स्टील और उर्वरक जैसे आयातों पर कार्बन कर लागू करेगा। यह कर 2026 से लागू होगा।
 - भारत का लौह और इस्पात उद्योग यूरोपीय संघ को 23.5% निर्यात करता है। यह उद्योग बड़े जोखिमों का सामना कर रहा है।
- व्यापार हिस्सेदारी में गिरावट: मजबूत कार्यबल के बावजूद श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- पश्चिम एशिया क्षेत्र में अस्थिरता: तेल की कीमतों में वृद्धि (प्रति बैरल 10 डॉलर) से भारत का चालू खाता घाटा (CAD) सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% तक बढ़ सकता है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
 - ईरान जैसे प्रमुख बाजारों में कृषि निर्यात (जैसे- बासमती चावल, चाय आदि) में गिरावट से व्यापार चुनौतियां बढ़ गई हैं।

रिपोर्ट में संरचनात्मक अक्षमताओं को दूर करने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण का आह्वान किया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के लिए नेतृत्व की स्थिति सुनिश्चित की जा सके।

चाइना-प्लस-वन के बारे में

- यह चीन में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों द्वारा चीन के अलावा किसी दूसरे देश में भी निवेश करने की पद्धति को व्यक्त करता है। ये देश आमतौर पर अन्य एशियाई देश ही हैं।
- यह चीन की जीरो-कोविड नीति, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव, चीन में बढ़ती श्रम लागत आदि के कारण उत्पन्न व्यवधान से प्रेरित है।

अन्य सुर्खियां



कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)

ESIC को उसके मोबाइल एप्लिकेशन-आस्क एन ऑप्टिमाइज्ड (AAA+) के लिए एक प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया है।

- इस अवसर पर ESIC को एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम (RSSF एशिया-प्रशांत) में निम्नलिखित तीन प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए हैं-
 - व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारी;
 - सतत निवेश; तथा
 - प्रणालीगत लचीलापन।
- RSSF एशिया-प्रशांत का आयोजन रियाद (सऊदी अरब) में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ISSA) द्वारा किया गया था।

ESIC और AAA+ के बारे में

- ESIC की स्थापना श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत की गई है।
- AAA+ एप्लिकेशन बीमित व्यक्तियों, लाभार्थियों, कर्मचारियों और ESI पेंशन भोगियों को सेवा प्रदान करती है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करती है।

ISSA के बारे में

- इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के तहत 1927 में स्थापित किया गया था।
- यह सामाजिक सुरक्षा संगठनों, सरकारों और सामाजिक सुरक्षा विभागों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।



महाकुंभ मेला 2025

विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाया जाएगा।

महाकुंभ मेले के बारे में

- हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थयात्रा है, जो 12 वर्षों में चार बार आयोजित की जाती है।
- प्रमुख स्थान और नदियां:
 - उत्तर प्रदेश: प्रयागराज (गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम)।
 - उत्तराखंड: हरिद्वार (गंगा नदी),
 - मध्य प्रदेश: उज्जैन (क्षिप्रा नदी), तथा
 - महाराष्ट्र: नासिक (गोदावरी नदी)।
- प्रमुख अनुष्ठान और प्रथाएं: शाही स्नान, दीप दान और कल्पवास (अनुशासन व तपस्या पर जोर)।
- उल्लेखनीय है कि 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले को सबसे बड़े स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था।



यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) लाइट

RBI ने UPI के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए UPI लाइट की लेन-देन की सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है।

➤ RBI ने UPI लाइट पर ऑफलाइन लेन-देन की कुल सीमा भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है।

UPI लाइट के बारे में

- यह एक भुगतान समाधान है, जो विश्वसनीय 'NPCI कॉमन लाइब्रेरी' एप्लीकेशन का लाभ उठाता है, ताकि वास्तविक समय में विप्रेषक (Remitter) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली का उपयोग किए बिना कम मूल्य के लेन-देन को प्रोसेस किया जा सके। साथ ही, इसमें पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण भी प्रदान किया जाता है।
- अपने UPI पंजीकृत ग्राहक की सहमति से, जारीकर्ता बैंक एक निर्धारित सीमा तक ग्राहक के खाते पर एस्क्रो (निलंब) बना सकता है।



अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट

भारत ने एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम में अपने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम COP-16 के भाग के रूप में आयोजित किया गया था।

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में

- यह प्रोजेक्ट निम्नीकृत वन भूमि की पुनर्हाली से संबंधित है।
- इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया था। इसके तहत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 कि.मी. बफर क्षेत्र को हरा-भरा किया जाएगा।
- यह प्रोजेक्ट अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल पहल से प्रेरित है।

भारत में अरावली पर्वतमाला के बारे में

- अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। अपरदन के चलते अरावली माला कई जगह से कट चुकी है।
- अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं।
- सबसे ऊंची चोटी: गुरु शिखर (राजस्थान)।



ब्रेन रॉट

"ब्रेन रॉट" शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, 2024 नामित किया गया है।

ब्रेन रॉट के बारे में

- यह मानव मस्तिष्क की वह दशा है, जिसमें मस्तिष्क अत्यधिक उत्तेजक स्थिति में हो जाता है।
- इस शब्द का इस्तेमाल खासतौर पर सोशल मीडिया पर निम्न गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कंटेंट को अत्यधिक देखने के कारण मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट दर्शाने के लिए किया गया है।
- इसके कारण एकाग्रता और तार्किक विश्लेषण की क्षमता में कमी तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।



गृह/ GRIHA (एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग)

बिहार के कालघाट स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के इंटरमॉडल टर्मिनल को GRIHA से फाइव-स्टार SVAGRIHA/ स्वगृह रेटिंग प्राप्त हुई है।

➤ यह टर्मिनल राष्ट्रीय जलमार्ग 1- गंगा नदी की क्षमता वृद्धि के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जलमार्ग विकास परियोजना का हिस्सा है।

गृह/ GRIHA के बारे में

- मंत्रालय: यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) का संयुक्त उद्यम है।
- भूमिका: GRIHA एक रेटिंग उपकरण है, जो किसी भवन की संपूर्ण उपयोग अवधि के दौरान उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करता है। इससे अंततः 'हरित भवन' के लिए एक निश्चित मानक प्रदान किया जाता है।
- स्वगृह/ SVAGRIHA (सरल, बहुमुखी व किफायती गृह): यह रेटिंग छोटे पैमाने के हितधारकों (बंगले और छोटे कार्यालय जैसी परियोजनाओं के मालिकों) को दी जाती है।



लेक-डिफेक्ट स्नो

लेक-डिफेक्ट स्नो से संबंधित चेतावनियां ग्रेट लेक्स (अमेरिका और कनाडा) में लागू रहेंगी।

लेक-डिफेक्ट स्नो के बारे में

- यह परिघटना तब होती है, जब कनाडा से ठंडी हवा गर्म व बिना जमी ग्रेट लेक्स के ऊपर से गुजरती है।
 - ⊕ जैसे ही ठंडी हवा ग्रेट लेक्स के बिना जमे तथा अपेक्षाकृत गर्म पानी के ऊपर से गुजरती है, गर्मी और नमी वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में स्थानांतरित हो जाती है।
 - ⊕ हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और ये बादल एक संकीर्ण पट्टी में विकसित होते हैं। इससे प्रति घंटे 2 से 3 इंच या उससे अधिक बर्फ गिरती है।
- यह पतझड़ के अंत और सर्दियों के मौसम में आम परिघटना है तथा प्रभावित क्षेत्र हवा की दिशा से निर्धारित होता है।



राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल (eMaap)

उपभोक्ता कार्य विभाग राज्य विधिक मापविज्ञान विभागों और उनके पोर्टल्स को एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में समायोजित करने के लिए eMaap विकसित कर रहा है।

➤ वर्तमान में, राज्य सरकारें पैकेज्ड वस्तुओं के पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने और तौल व माप उपकरणों के सत्यापन/ मुद्रांकन के लिए अपने स्वयं के पोर्टल्स का उपयोग कर रही हैं।

eMaap के बारे में

- उद्देश्य: लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने तथा प्रवर्तन व अनुपालन के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- लाभ:
 - ⊕ यह विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत अनुपालन बोझ और कागजी कार्रवाई को कम करके व्यापार करने में सुगमता तथा व्यापार प्रथाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।
 - ⊕ डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा; प्रवर्तन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करेगा तथा एक मजबूत और दक्ष विनियामक फ्रेमवर्क को सुनिश्चित करते हुए नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।

सुर्खियों में रहे स्थल



कुवैत (राजधानी: कुवैत सिटी)

कुवैत के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए।

राजनीतिक विशेषताएं:

- अवस्थिति: यह एक पश्चिम एशियाई देश है, जो फारस की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर अरब प्रायद्वीप में स्थित है।
- सीमावर्ती राष्ट्र: इसके उत्तर और पश्चिम में इराक; तथा दक्षिण एवं पश्चिम में सऊदी अरब अवस्थित है।
- प्रमुख संगठन: यह खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन और तेल निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) का सदस्य है।
- फारस की खाड़ी युद्ध 1990: इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था। इसकी प्रतिक्रिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था।

भौगोलिक विशेषताएं:

- 9 द्वीप: फेलाका द्वीप, बुबियान द्वीप, मिस्कान द्वीप आदि।
- जलवायु: अति शुष्क रेगिस्तानी जलवायु (बार-बार चरम मौसमी स्थितियों के साथ अत्यधिक परिवर्तनशील)।
- तेल भंडार: यहां विश्व के प्रमाणित तेल भंडार का 6-7% हिस्सा है।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची